न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आँगनवाड़ी वाद संख्या–89/2017
राधा देवी –बनाम– श्रीमती सुनीता देवी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/09/2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा आँगनवाड़ी वाद संख्या–211/2017 (सुनीता देवी बनाम राम शोभा देवी एवं अन्य में पारित आदेश ज्ञापांक 650/जि0प्रो0 दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद को प्रतिग्रहित कर संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत करने एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। तदालोक में प्रत्यर्थी का प्रत्युत्तर एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 140/जि0प्रो0 दिनांक 06.02.2018 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् वाद आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–71 सकीरना, ग्राम पंचायत हिरणी, प्रखंड–कुशेश्वरस्थान के आँगनवाड़ी सहायिका पद पर चयत हेतु कुल दो आवेदन दिये गये। प्राप्त आवेदन के अनुरूप प्रथम आम सभा दिनांक 03.01.2017 को आयेजित की गयी। आयोजित आम सभा दिनांक 03.01.2017 को प्रत्यर्थी सं0–01 सुनीता देवी द्वारा एक आवेदन आम सभा में दिया गया जिसे आम सभा द्वारा निरस्त किया गया तथा उक्त आवेदन को निरस्त करने का कारण मेधासूची में अंकित किया गया। दूसरी आम सभा दिनांक 10.01.2017 को चयन हेतु आयोजित की गयी। चयन समिति द्वारा समी तथ्यों की समीक्षोपरान्त अपीलार्थी का चयन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी के चयन कि विरूद्ध प्रत्यर्थी सं0–01 सुनीता देवी द्वारा एक आँगनवाड़ी वाद सं0–211/2017 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में दायर किया गया। उपरोक्त सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अपीलार्थी के चयन को निरस्त किया गया, जो चयन मार्गदर्शिका–2016 में सन्निहित प्रावधान के विपरीत है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को पुनर्बहाल करने संबंधी आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रत्यर्थी सं0–04 वार्ड सदस्य के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी सं0–01 सुनीता देवी द्वारा चयन हेतु एक आवेदन दिनांक 03.01.2017 के आम सभा में दिया गया जिसे चयन समिति के द्वारा निरस्त किया गया। बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की आवेदिका नहीं	

रहने के कारण अपीलार्थी जो अनुसूचित जाति से है, का चयन किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य है जिसे निरस्त करते हुए अपीलार्थी को पुनः बहाल करने संबंधी आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

प्रत्यर्थी सं0–01 सुनीता देवी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश अभिलेख पर संधारित तथ्य के अनुरूप पारित किया गया है। उक्त के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–71 के आँगनवाड़ी सेविका पद पर प्रत्यर्थी सं0–01 का आम सभा दिनांक 10.01.2016 से चयन नहीं किये जाने पर प्रत्यर्थी सं0–01 के रिश्तेदार के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समस्त चयन प्रक्रिया की कार्यवाही पंजी की मांग की गयी। प्राप्त सूचना से अवलोकित है कि प्रत्यर्थी सं0–01 के द्वारा चयन हेतु एक आवेदन दिनांक 23.12.2016 को जमा किया गया, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रत्यर्थी सं0–01 का दिया गया है। आम सभा दिनांक 03.01.2017 को आम सभा की कार्यवाही पंजी के प्रस्ताव सं0–02 से अवलोकित है कि आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु कुल आवेदन के आधार पर मेधासूची तैयार किया गया। सहायिका चयन हेतु तैयार मेधा सूची के क्रमांक–03 पर प्रत्यर्थी सं0–01 का नाम अंकित है। दिनांक 03.01.2017 के आम सभा के कार्यवाही पंजी से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं0–01 के आवेदन को निरस्त करने की चर्चा नहीं है।

प्रत्यर्थी सं0–01 के विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि आयोजित आम सभा दिनांक 10.01.2017 के प्रस्ताव सं0–06 में स्पष्टतः विरोधाभाषी कथन है। आम सभा दिनांक 03.01.2017 में तैयार मेधासूची के क्रमांक–03 पर अंकित प्रत्यर्थी सं0–01 के कॉलम में अलग लिखावट में अंकित किया गया कि कि 28.12.2016 को प्राप्त आवेदन आम सभा द्वारा निरस्त किया गया। प्रस्ताव सं0–06 में अंकित है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय लिपिक द्वारा 28.12.2016 को प्राप्त आवेदन उनके द्वारा दिया गया। प्रत्यर्थी सं0–01 के विद्वान् अधिवक्ता का कथन कि अगर प्रत्यर्थी सं0–01 के द्वारा दिनांक 03.01.2017 के आम सभा में मूल आवेदन दिया गया तो कार्यालय लिपिक द्वारा कथित प्राप्त आवेदन दिनांक 28.12.2016 का क्या औचित्य है। विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि वास्तविक तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी सं0–01 के द्वारा आवेदन दिनांक 23.12.2016 को जमा किया गया, जिसके आधार पर आम सभा में मेधासूची बनायी गयी। पुनः अपीलार्थी के मेल में आकर महिला पर्यवेक्षिका एवं वार्ड सदस्य द्वारा 03.01.2017 में तैयार मेधासूची में कूटरचना की गयी जो स्पष्टतः दूसरे लिखावट में है। गलत रूप से तथ्य अंकित करते हुए प्रत्यर्थी सं0–01 जो बाहुल्य वर्ग से है, के आवेदन को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का चयन किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा एक विधि सम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलवाद को अस्वीकृत करने

की कृपा की जाय।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख संधारित तथ्य से स्पष्ट है कि आम सभा दिनांक 03.01.2017 के कार्यवाही पंजी के प्रस्ताव सं0–02 एवं आम सभा दिनांक 10.01.2018 के कार्यवाही पंजी के प्रस्ताव सं0–06 में विरोधाभाषी कथन अंकित है। आम सभा दिनांक 03.01.2017 के कार्यवाही पंजी प्रस्ताव सं0–02 से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्यर्थी सं0–01 के आवेदन को आम सभा में निरस्त किया गया है। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.01.2017 के आम सभा की कार्यवाही पंजी के प्रस्ताव सं0–06 में यह तथ्य अंकित है कि प्रत्यर्थी सं0–01 के आवेदन को आम सभा दिनांक 03.01.2017 को निरस्त किया गया है, जबकि आम सभा दिनांक 03.01.2017 के कार्यवाही पंजी में प्रत्यर्थी सं0–01 के आवेदन को निरस्त करने की सम्पुष्टि नहीं है। अतः उपरोक्त साक्ष्यधारित तथ्य के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश यथोचित प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचना के साथ अपीलवाद को अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।